

कार्यालय— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 330 /3क(2)/नियुक्ति (10 प्रति.)/2016-17/दिनांक 11/07/16

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 के नियम-5(3) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा नियमावली के नियम 8 के प्राविधानानुसार राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को विभागीय लिखित परीक्षा हेतु विषयवार अवधारित 10 प्रतिशत पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के विज्ञापन दिनांक 23.02.2014 के आधार पर लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600) में सहायक अध्यापक एल.टी. (गणित) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

शाखा: महिला

विषय: गणित

क्र० सं.	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम / पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उप श्रेणी	कार्यरत विद्यालय का नाम	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दीप्ति रावत पुत्री श्री बलवन्त सिंह रावत एच- 170, शिवालिक नगर बी.एच.ई.एल. हरिद्वार 249403	15-11-1984	हरिद्वार	अनारक्षित	महिला	रा०प्रा०वि० ऐथल बुजुर्ग, लक्सर, हरिद्वार	रा०क०उ०मा०वि० चकजोगीवाला डोईवाला देहरादून	रिक्त पद के प्रति
2	सरिता रजवार पुत्री श्री केशी चंद रजवार चन्द्र भागा पो०-ऐंचोली निकट रोडवेज वर्कशॉप पिथौरागढ़ 262530	13-11-1983	पिथौरागढ़	अनारक्षित	महिला	रा०प्रा०वि० बटगैरी, गंगोलहाट, पिथौरागढ़	रा०बा०इ०का० थराली थराली चमोली	रिक्त पद के प्रति
3	शर्मा भारती कु० गोपाल पुत्री श्री गोपाल एच०शर्मा गली नं०-3 गोबिन्द नगर सहस्त्रधारा रोड रायपुर देहरादून 248001	10-06-1978	अल्मोड़ा	अ०पि०जा०	महिला	रा०प्रा०वि० खोन, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा	रा०क०उ०मा०वि० सतपुली द्वारीखाल पौड़ी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ.सं./सेवा.अराज./ 10031-90 /3क(2)/नियुक्ति (10 प्रति.)/2016-17/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, देहरादून।
6. मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
7. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
9. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
10. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा०/बे०)।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
13. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपशिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)।

14. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व उनके सेवा अभिलेखों एवं समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्रों का भली-भाँति परीक्षण कर लें, दिव्यांग अभ्यर्थी को छोड़कर अन्य अभ्यर्थी केवल वही क्षेत्र के विद्यालय में नियुक्त हो यह तथ्य जाँचकर ही तत्पश्चात कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की त्रुटि अथवा परिवर्तन की दशा में तत्काल इस कार्यालय को अवगत करायें।

15. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र मूल में अवलोकित कराने के उपरान्त अभिलेखों की छायाप्रति सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही गतिमान नहीं है और न ही उनके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है।

16. कार्यालय प्रति।

2 Dec 11/7/16

(रामकृष्ण उनियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।